भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1469

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

उद्वह सिंचाई प्रणाली

1469. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में और विशेषकर महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी किस प्रकार उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी गांवों और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए उद्वह (लिफ्ट) सिंचाई प्रणाली लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो अब तक महाराष्ट्र और विशेष रूप से वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्वह सिंचाई प्रणाली से कितने किसानों और गांवों को लाभ हुआ है और इसके क्या नीति अपनाई गई है;

(घ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुसाद तहसील के ईसापुर बांध क्षेत्र के 42 गांवों को उद्वह सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्षेत्रीय किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलबध कराने हेतु कौन-से अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत में पानी की भौतिक पहुँच में वृद्धि करना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को आरंभ करना आदि है। पीएमकेएसवाई एक व्यापक योजना है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, नामतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2021 में मंजूरी दी गई है।

वर्ष 2016-17 से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 115 वृहद, मध्यम और विस्तारित, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं (7 चरणों सहित) शामिल की गई हैं। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 63 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और देश में 26.27 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। इसके अलावा, एचकेकेपी के कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन घटक के अंतर्गत 19.28 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत महाराष्ट्र की 28 वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जिनमें से 02 परियोजनाएं निचली धुदना परियोजना और ऊपरी पेन गंगा परियोजना से परभणी जिला लाभांवित हो रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 85,577 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और 39,161 हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र की 8 एमएमआई और 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित शेष लागत अप्रैल, 2018 तक 13,651.61 करोड़ रुपये है, जिसे भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है। दो एमएमआई और 60 एसएमआई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इस योजना के तहत 1.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

(ख) से (घ): जल राज्य का विषय है, इसलिए लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं सहित सिंचाई परियोजनाओं की योजना बनाना, कार्यांवित करना और उनका प्रबंधन करना तथा राज्य में सिंचाई प्रणाली को और अधिक व्यापक बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। भारत सरकार की भूमिका केवल तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा चालू योजनाओं के तहत चिन्हित परियोजनाओं हेतु आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत महाराष्ट्र राज्य से 28 वृहद् और मध्यम परियोजनाओं को इसमे दस (10) परियोजनाओं में उपर्युक्त योजना के तहत लिफ्ट सिंचाई घटक शामिल है। इसके अलावा, विशेष पैकेज के तहत तीन (3) वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं हैं।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और महाराष्ट्र पैकेज के अंतर्गत लिफ्ट सिंचाई घटक संबंधी परियोजनाओं का विवरण, सृजित सिंचाई क्षमता और लाभान्वित जिलों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ङ): पीएमकेएसवाई और महाराष्ट्र पैकेज के अलावा, हाल के दिनों में सिंचाई क्षमता के सृजन और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहल नीचे दी गई हैं।

1. जून, 2018 में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब को लाभ प्रदान करने वाली शाहपुरकंडी बाँध (राष्ट्रीय) परियोजना के लिए 2,715.70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत

हेतु, वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी है। परियोजना के लिए स्वीकृत केंद्रीय सहायता देयता 485.38 करोड़ रुपये है।

2. सितंबर, 2018 में भारत सरकार ने पंजाब और राजस्थान राज्यों को लाभ पहुँचाने वाली राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग के लिए 1976.75 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए स्वीकृत केंद्रीय सहायता देयता 982 करोड़ रुपये है।
3. दिसंबर, 2021 में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्रमशः रेणुकाजी बांध और लखवार बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 6,946.99 करोड़ रुपये और 5,747.17 करोड़ रुपये है।
4. दिसंबर, 2021 में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी है।

*****

अनुलग्नक

"उद्वह सिंचाई प्रणाली" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1469 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

महाराष्ट्र में लिफ्ट सिंचाई घटक संबंधी परियोजनाओं की सूची

क. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अप्रैल, 2016 से जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	लिफ्ट घटक सहित मार्च 2024 तक निर्मित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	लाभान्वित जिले
चालू परियोजनाएं				
1	वाघुर परियोजना	195.02	32.06	जलगांव
2	निचली वर्धा परियोजना	216.63	56.42	वर्धा
3	कुडाली मध्यम सिंचाई परियोजना	5.90	0.23	सतारा
4	जिहे कथापुर परियोजना	110.86	8.53	सतारा
5	बोडवाड परिसर सिंचन योजना चरण-I	0	0	जलगांव और बुलढाना
पूर्ण परियोजनाएं				
6	कृष्णा कोयना एलआईएस	303.86	106.74	सोलापुर और सांगली
7	बेम्बला परियोजना	285.22	50.60	यवतमाल
8	गदनदी परियोजना	3.49	5.18	रत्नागिरि
9	खड़कपूर्णा परियोजना	40.16	23.86	बुलढाना
10	ताराली परियोजना	72.06	15.47	सतारा

ख. महाराष्ट्र पैकेज

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अप्रैल, 2018 से जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	मार्च 2024 तक निर्मित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	लाभान्वित जिले
चालू परियोजनाएं				
1	सुलवाडे, जामफाल कनोली लिफ्ट सिंचाई योजना	464.15	निर्मित की जानी है	धुले
पूर्ण परियोजनाएं				
2	तेम्भू एलआईएस	297.16	96.32	सतारा, सांगली और सोलापुर
3	घुंघसी बैराज एलआईएस	36.06	5.10	अकोला

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *140

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

चंद्रपुर शहर को जल आपूर्ति

*140. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चंद्रपुर शहर में जल आपूर्ति के लिए कोई स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा चंद्रपुर शहर में जल आपूर्ति हेतु नए स्रोत बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का चंद्रपुर शहर के लिए जल स्रोत बनाने हेतु वर्धा नदी पर बांध के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'चंद्रपुर शहर को जल आपूर्ति' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *140 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चंद्रपुर शहर के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के स्वामित्व वाले एराई बांध से जल आपूर्ति किए जाने के लिए एक स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध है। चंद्रपुर शहर की जल आपूर्ति के लिए इस समय एराई बांध से 18 मिलियन घन मीटर पीने का पानी आरक्षित है।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्धा नदी पर धनौरा बैराज और आमदी बैराज नामक दो बैराजों की योजना बनाई है, जिसमें भविष्य में चंद्रपुर शहर की जल आपूर्ति की मांग के लिए क्रमशः लगभग 25 मिलियन घन मीटर और 10 मिलियन घन मीटर पानी का प्रावधान है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *133

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन

*133. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन करने और देश में बांधों की सुरक्षा से संबंधित संपरीक्षा कराने का अधिदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सुरक्षा से संबंधित ऐसी संपरीक्षा किन-किन राज्यों में की गई है;

(ग) क्या मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा से संबंधित संपरीक्षा की जानी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा से संबंधित संपरीक्षा शीघ्रातिशीघ्र कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *133 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): जी नहीं। संसद द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के पारित हो जाने के उपरांत केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप फरवरी 2022 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की स्थापना की गई थी ताकि देश भर में बांध सुरक्षा संबंधी कार्यकलापों की निगरानी की जा सके और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) द्वारा विकसित की गई नीतियों, दिशानिर्देशों और मानक लागू किए जाने के साथ-साथ विनिर्दिष्ट बांधों के संबंध में उचित निगरानी, निरीक्षण और उनके रखरखाव का कार्य किया जा सके।

बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही बांधों के संचालन और उनके रखरखाव के कार्य का दायित्व, मुख्य रूप से बांध मालिकों का होता है, जो प्रमुख रूप से राज्य सरकारें और केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां होती हैं।

इसके अलावा, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 31 के अनुसार, प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध मालिक द्वारा अपने बांध की सुरक्षा इकाइयों के माध्यम से प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में एक वार्षिक आधार पर, मानसून से पहले और मानसून के पश्चात, निरीक्षण करने और उस निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन को अग्रेषित करना अनिवार्य कर दिया गया है जो उस रिपोर्ट का विश्लेषण करता है और विनिर्दिष्ट बांध मालिकों को बांध की सुरक्षा, कमियों और उनसे संबंधित सुधारात्मक उपायों पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करता है, यदि कोई हो तो।

तदनुसार, बांध सुरक्षा इकाईयों द्वारा जिन्हें इसी उद्देश्य से गठित किया गया है, मुल्लापेरियार बांध सहित सभी विनिर्दिष्ट बांधों का मानसून से पहले और मानसून के पश्चात निरीक्षण किए जा रहे हैं।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में, एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन को अधिदेशित किया गया है। अधिनियम की धारा 38 के अनुसार, बांध की व्यापक सुरक्षा संपरीक्षा करने का दायित्व केवल बांध मालिकों और राज्यों का होता है। बांध मालिक होने के नाते मुल्लापेरियार बांध की व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग, तमिलनाडु सरकार की है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *131

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए धनराशि

***131. श्री इटेला राजेंदर:**

श्रीमती डी.के. अरुणाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तथा विभिन्न जिलों में जल निकायों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र प्रायोजित योजना - निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार(आरआरआर) के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में धनराशि संस्वीकृत और संवितरित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना और अन्य पूर्ववर्ती योजनाओं के तहत विगत दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपयोग की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री **श्री सी. आर. पाटील**

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए धनराशि' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *131 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख):भारत सरकार द्वारा जनवरी 2005 (10वीं योजना) में "जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार" शीर्षक से एक पायलट योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सीधे कृषि से जुड़े हुए जल निकायों की बहाली किया जाना था। इस पायलट योजना का मुख्य उद्देश्य जल निकायों की भंडारण क्षमताओं को बहाल करना,विस्तारित करना और उनकी समाप्त सिंचाई क्षमता की बहाली और उसे बढ़ाया जाना था।

इस पायलट योजना की सफलता के बाद, 11वींयोजना (2007-12) के दौरान दो मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धारयोजनाएँ एक घरेलू सहायता के साथ और एक बाह्य सहायता के साथ शुरू की गई। इस बाह्य सहायता प्राप्त योजना को आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया था।

केंद्र सरकार द्वारा सितंबर, 2013 को 11वींयोजना (वर्ष 2012-17) के दौरान, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार जारी रखने का अनुमोदन दिया गया था। हालांकि, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में, चल रही कई पहलों को एक साथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को स्वीकृति दी गईथी, जिसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (सरफेस माइनर इरीगेशन), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर), एकीकृत वाटरशेडप्रबंधन कार्यक्रम (इंटीग्रेटिड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम) और खेतों में जल प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म सिंचाई घटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का प्राथमिक उद्देश्य खेतों तक जल की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषियोग्य क्षेत्रों का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार लानाऔर सतत जल संरक्षण प्रणालियों को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के मुख्य घटकों में से एक घटक हर खेत को पानी है। वर्ष 2016-2021 के दौरानसतही लघु सिंचाई और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) योजनाओं को 3550 करोड़ रुपए के परिव्यय से पीएमकेएसवाई-एचकेकेपीमें मिलाते हुएकार्यान्वयन में शामिल किया गया था। चल रही सतही लघु सिंचाई (सरफेस माइनर इरीगेशन) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धारयोजनाएं, जिन्हें 11वींऔर 12वींयोजनाओं के दौरान, जिन पर केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु विचार किया गया था, उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) -हर खेत को पानी के अंतर्गत भी जारी रखा गया था।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-2026 की अवधि में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी को जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सतही लघु सिंचाई और जल निकायों के आरआरआर योजनाओं को पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत 4580 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों को पिछले दस वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत जल निकायों की आरआरआर के लिए प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए धनराशि' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *131 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल निकाय योजनाओं के आरआरआर योजनाओं के लिए जारी केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार विवरण

(करोड़ रू.)

वित्त वर्ष राज्य	**वित्त वर्ष 2014-15**	**वित्त वर्ष 2015-16**	**वित्त वर्ष 2016-17**	**वित्त वर्ष 2017-18**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**
आंध्र प्रदेश					2.70						
तमिल नाडु		9.22			7.03	16.75	1.25	17.43	27.70	49.60	5.26
तेलंगाना		44.88		59.68							
कुल		**54.10**		**59.68**	**9.73**	**16.75**	**1.25**	**17.43**	**27.70**	**49.60**	**5.26**

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *129

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

कुरनूल जिले में सिंचाई परियोजनाएं

*129. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत कुरनूल जिले में वर्तमान में चल रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ये परियोजनाएं किन-किन स्थलों पर चल रही हैं और इन परियोजनाओं से अनुमानतः कितनी सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने का लक्ष्य है;

(ख) पीएमकेएसवाई के तहत कुरनूल जिले में मौजूदा सिंचाई प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत कुरनूल जिले में परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपायोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जिले में अनुमोदित परियोजनाओं को निष्पादित करने में आने वाली किसी भी चुनौती या बाधा को दूर करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों सहित चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'कुरनूल जिले में सिंचाई परियोजनाएं' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *129 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत, इस समय, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कोई परियोजना नहीं चल रही है।

(ख): कृषि और किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से आंध्र प्रदेश सहित पूरे भारत में एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक के रूप में प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) को कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में, जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त तकनीकी कार्यकलापों जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से किसानों द्वारा जल बचत और संरक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए 55% आर्थिक सहायता और अन्य किसानों को 45% आर्थिक सहायता मुहैया करवाती है। आंध्र प्रदेश में, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 तक, इस योजना के अंतर्गत कुल 9.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को माइक्रो सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले का 90,274 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

(ग) और (घ): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *121

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

अटल भूजल योजना के तहत धनराशि का आवंटन

*121. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अटल भूजल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित धनराशि का विशेषकर कर्नाटक सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण के उद्देश्य से चल रही परियोजनाओं की जिलावार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जल संरक्षण से संबंधित प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) कृषि, औद्योगिक और घरेलू प्रयोजन के लिए जल का समान एवं न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय आरंभ किए गए हैं/आरंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'अटल भूजल योजना के तहत धनराशि का आवंटन' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *121 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अटल भूजल योजना के लिए 1780.40 करोड़ रूपये की राशि परिकल्पित की गई है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत, विभिन्न सूचकों के अंतर्गत निधियां जारी किया जाना सहभागी राज्यों की कार्य-निष्पादकता पर आधारित होता है।

(ख): कर्नाटक के 14 जिलों के 1199 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अटल भूजल योजना कार्यान्वित की जा रही है, जबकि अटल भूजल योजना सहित विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं के अंतर्गत भूजल पुनर्भरण और संरक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार, अटल भूजल योजना की प्रोत्साहनात्मक निधि से कुल 2478 कार्य शुरू किए गए है, जिसमें से 1707 कार्य को पूरा कर लिया गया है और 771 कार्य चल रहें हैं। इसका जिला-वार सूची अनुलग्नक पर दी गयी है।

(ग): अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन सामुदायिक भागीदारी आधारित है। भूजल स्तर और उसकी प्रवृतियां, जल गुणवत्ता जैसी भूजल से जुड़ी सूचना के संग्रहण तथा प्रसार में समुदायों की भूमिका अहम होती है, जिससे भूजल से संबंधित मूल्यवान स्थानीय सूचना हासिल होती है। इस उद्देश्य के लिए उन लोगों को संबंधित उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग करने की दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाता है। प्राप्त जानकारी और अनुभव के आधार पर, उन्हें आगे जल बजटिंग की बारीक समझ के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उनकी पंचायत की विशिष्ट आवश्यकता और चुनौतियों के मद्देनजर प्रभावी, कार्यान्वयन योग्य जल सुरक्षा योजना तैयार करने में मदद मिलती है। इन योजनाओं को व्यापक विचार-विमर्श और भागीदारी के लिए ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सक्रिय निर्णय लेने में उनकी भूमिका को अहम बनाते हुए महिलाओं की अनिवार्य 33 प्रतिशत (न्यूनतम) भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समाजिक समावेशन अपनाया जाता है। अन्य संबंधित योजनाओं का अभिसरण और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए सामुदायिक भागीदारी द्वारा भूजल प्रबंधन में एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को मजबूत करते किया जाता है। योजना के व्यापक लक्ष्यों के साथ एकजुटता रखते हुए, समुदायों द्वारा जल-दक्ष प्रथाओं का अपनाया जाना भूजल संसाधनों की स्थिरता बनाए रखने में उनके सीधे योगदान को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय भाषाओं में ही नियमित बैठकों/विचार-विमर्शों और सूचना के विभिन्न मोड, शिक्षा और संचार (आईईसी), जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजना और पठनीय सामग्री विकसित करते हुए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। प्रतिभागी राज्य द्वारा गैर-सरकारी संगठन जिला को कार्यान्वयन पार्टनर के रूप में शामिल किया जाता है, ताकि समुदायों के साथ प्रत्येक कदम पर मिलकर चलते हुए सरलता से कार्य किया जा सके। ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि एक व्यापक, सूविज्ञ और जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(घ): जल एक राज्य विषय होने के कारण, देश के कृषि, औद्योगिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए जल का समान वितरण सुनिश्चित किए जाने सहित जल प्रबंधन पर पहल किए जाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों की होती है।

फिर भी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूजल के समान और विवेकानुसार आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए, एक राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जिसमें ऐसी कृषि प्रणाली विकसित करना परिकल्पित है जिससे कम से कम पानी का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लाभ हासिल करने के लिए सभी क्षेत्रों में भूजल और सतही जल का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाए।

अटल भूजल योजना के तहत, समुदाय द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजट और जल सुरक्षा योजना बनाई जाती है जिसमें जल की उपलब्धता और मांग का आकलन किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच अनुकूल जल आवंटन के लिए मांग/आपूर्ति पक्ष कार्यकलाप प्रस्तावित किए जाते है।

*****

अनुलग्नक

'अटल भूजल योजना के तहत धनराशि का आवंटन' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *121 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र. सं.	जिला	अटल भूजल योजना के प्रोत्साहनात्मक निधियों के माध्यम से किए गए कार्यों की कुल संख्या	पूर्ण किए गए कार्य	चल रहे कार्य
1	बालाकोट	160	117	43
2	विजयनगर	78	53	25
3	बेलगावी	125	87	38
4	बेंगलुरु - ग्रामीण	178	149	29
5	चामराजनगर	60	39	21
6	चिकमगलूर	40	30	10
7	चिक्काबल्लापुर	359	185	174
8	चित्रदुर्ग	326	265	61
9	दावणगेरे	142	85	57
10	गदग	139	79	60
11	कोलार	244	152	92
12	हसन	136	96	40
13	रामनगर	70	54	16
14	तुमकुर	421	316	105
कुल		2478	1707	771

इन कार्यों में चेक डैम/बोल्डर चेक, मिट्टी के बांध/नाला बांध, कंटूर ट्रेंच, गोकट्टी, पर्कोलेशन टैंक/मिनी पर्कोलेशन टैंक, फार्म तालाब, टैंक भरने के लिए पाइपलाइन, मल्टी आर्च तकनीक डैम आदि का विनिर्माण कार्य शामिल हैं।

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1572

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

गुजरात में घटता भूजल-स्तर

1572. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बनासकांठा सहित पूरे गुजरात में भूजल-स्तर घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार बनासकांठा सहित गुजरात में जल संरक्षण के लिए व्यवस्था कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री **श्री राज भूषण चौधरी**

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अपने मॉनिटरिंग स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से वर्ष में चार बार क्षेत्रीय स्तर पर गुजरात सहित देश भर में भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है।

भूजल स्तरों में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2024 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना बनासकांठा जिले सहित गुजरात राज्य के लिए नवंबर (2014-2023) की दशकीय औसत जल स्तर से की गई है। इसका विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है। गुजरात के भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव संबंधी इन दीर्घकालिक आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि गुजरात राज्य में 88.11% कूपों के भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है तथा बनासकांठा में 93.3% कूपों के भूजल स्तर में वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ): जल राज्य का विषय है। भूजल से संबंधित संसाधनों के सुधार हेतु उपाय करने सहित भूजल प्रबंधन का उत्तरदायित्व, मुख्यत: राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कर राज्यों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने बनासकांठा और गुजरात सहित देश के भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। इनमे से कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं: -

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड पर समयबद्ध कार्यक्रम है। इस समय देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें गुजरात के 6 जिलों सहित 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें बनासकांठा भी शामिल है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में गुजरात में जेएसए के अंतर्गत 2 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण पूरा कर लिया गया है/जारी है।

ii. गुजरात सहित देश के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जलभृत्त मैपिंग अध्ययन किए गए हैं। बनासकांठा सहित गुजरात के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र को राष्ट्रीय जलभृत्त मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नेक्यूम) के अंतर्गत शामिल किया गया है। मांग और आपूर्ति पक्ष उपायों से संबंधित सिफारिशों को शामिल करते हुए जिला-वार भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओ को कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला प्राधिकरणों के साथ साझा किया गया हैं।

iii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना 7 राज्यों के जल की कमी वाले 80 जिलों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भागीदारी भूजल प्रबंधन हेतु समुदाय आधारित एक योजना है। इस योजना के तहत विभिन्न वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाओं जैसे चेक बांध, तालाब, शाफ्ट आदि के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है। बनासकांठा जिले सहित गुजरात राज्य के कुछ हिस्से इस स्कीम के अंतर्गत शामिल हैं।

iv. भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से तैयार किया गया है, जिसमें परियोजना की व्यापक रूपरेखा और अपेक्षित निवेश संबंधी प्रावधान शामिल है। इस मास्टर योजना में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) जल के संरक्षण के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। इस मास्टर प्लान को उपयुक्त उपायों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। गुजरात के लिए कुल 13.36 लाख वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की सिफारिश की गई है, जिसमें बनासकांठा के लिए लगभग 21,000 संरचनाए शामिल हैं।

v. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से गुजरात सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।

vi. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर योजना का आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य गुजरात सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से 2,650 अमृत सरोवर गुजरात में और 99 बनासकांठा में हैं।

vii. गुजरात में अटल भूजल योजना और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत वास्तविक समय आधार पर भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव की मॉनीटरिंग के लिए कुल 3,078 डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर स्थापित किए गए हैं।

*****

अनुलग्नक

“गुजरात में घटता भूजल-स्तर” के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1572 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गुजरात राज्य के मानसून पश्चात 2024 के साथ मानसून पश्चात 2014 से 2023 के मध्य जल स्तर में (जिला-वार) दशकीय तुलना

क्रम संख्या	जिले का नाम	विश्लेषण किए गए कूपों की संख्या	निम्नलिखित सीमा में जल स्तर की गहराई (मी) में वृद्धि/गिरावट दर्शाने वाले कूपों की संख्या / प्रतिशत												कूपों की कुल संख्या			
			वृद्धि						गिरावट									
			0 से 2		2 से 4		> 4		0 से 2		2 से 4		> 4		वृद्धि		गिरावट	
			सं.	%	सं..	%	सं..	%	सं.	%	सं..	%	सं..	%	सं.	%	सं..	%
1	अहमदाबाद	6	5	83.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7	5	83.3	1	16.7
2	अमरेली	37	12	32.4	10	27	9	24.3	4	10.8	0	0	2	5.4	31	83.8	6	16.2
3	आनंद	12	9	75	1	8.3	1	8.3	1	8.3	0	0	0	0	11	91.7	1	8.3
4	अरवल्ली	12	5	41.7	3	25	3	25	1	8.3	0	0	0	0	11	91.7	1	8.3
5	**बनासकांठा**	**15**	**5**	**33.3**	**9**	**60**	**0**	**0**	**1**	**6.7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**93.3**	**1**	**6.7**
6	भरूच	32	19	59.4	4	12.5	0	0	9	28.1	0	0	0	0	23	71.9	9	28.1
7	भावनगर	31	10	32.3	6	19.4	7	22.6	1	3.2	5	16.1	2	6.5	23	74.2	8	25.8
8	बोटाड	4	2	50	1	25	1	25	0	0	0	0	0	0	4	100.0	0	0.0
9	छोटाउदेपुर	21	9	42.9	7	33.3	3	14.3	2	9.5	0	0	0	0	19	90.5	2	9.5
10	दाहोद	25	10	40	11	44	1	4	3	12	0	0	0	0	22	88.0	3	12.0
11	डांग	22	14	63.6	2	9.1	0	0	6	27.3	0	0	0	0	16	72.7	6	27.3
12	देवभूमि द्वारका	17	7	41.2	6	35.3	2	11.8	2	11.8	0	0	0	0	15	88.2	2	11.8
13	गांधीनगर	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0.0
14	गिर सोमनाथ	10	6	60	3	30	1	10	0	0	0	0	0	0	10	100.0	0	0.0
15	जामनगर	17	3	17.6	7	41.2	5	29.4	2	11.8	0	0	0	0	15	88.2	2	11.8
16	जूनागढ़	37	9	24.3	11	29.7	16	43.2	0	0	0	0	1	2.7	36	97.3	1	2.7
17	कच्छ	30	7	23.3	10	33.3	8	26.7	5	16.7	0	0	0	0	25	83.3	5	16.7
18	खेड़ा	12	6	50	2	16.7	3	25	1	8.3	0	0	0	0	11	91.7	1	8.3
19	महेसाणा	16	8	50	3	18.8	3	18.8	1	6.3	1	6.3	0	0	14	87.5	2	12.5
20	महिसागर	15	7	46.7	3	20	1	6.7	1	6.7	3	20	0	0	11	73.3	4	26.7
21	मोरबी	13	5	38.5	3	23.1	5	38.5	0	0	0	0	0	0	13	100.0	0	0.0
22	नर्मदा	19	12	63.2	4	21.1	0	0	3	15.8	0	0	0	0	16	84.2	3	15.8
23	नवसारी	18	13	72.2	5	27.8	0	0	0	0	0	0	0	0	18	100.0	0	0.0
24	पंच महल	21	8	38.1	8	38.1	5	23.8	0	0	0	0	0	0	21	100.0	0	0.0
25	पाटन	5	1	20	2	40	1	20	1	20	0	0	0	0	4	80.0	1	20.0
26	पोरबंदर	26	9	34.6	7	26.9	10	38.5	0	0	0	0	0	0	26	100.0	0	0.0

27	राजकोट	24	1	4.2	11	45.8	11	45.8	1	4.2	0	0	0	0	23	95.8	1	4.2
28	साबर कंठा	25	9	36	3	12	12	48	0	0	1	4	0	0	24	96.0	1	4.0
29	सूरत	24	17	70.8	3	12.5	3	12.5	1	4.2	0	0	0	0	23	95.8	1	4.2
30	सुरेंद्र नगर	26	17	65.4	4	15.4	2	7.7	3	11.5	0	0	0	0	23	88.5	3	11.5
31	तापी	12	8	66.7	3	25	1	8.3	0	0	0	0	0	0	12	100.0	0	0.0
32	वडोदरा	15	4	26.7	2	13.3	4	26.7	4	26.7	0	0	0	0	10	66.7	4	26.7
33	वलसाड	14	8	57.1	3	21.4	0	0	2	14.3	0	0	1	7.1	11	78.6	3	21.4
	कुल	**614**	**266**	**43.3**	**157**	**25.6**	**118**	**19.2**	**55**	**9**	**10**	**1.6**	**7**	**1.1**	**541**	**88.1**	**72**	**11.7**

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1564

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय नदी अंतरसम्पर्क परियोजना

1564. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय नदी अंतरसम्पर्क परियोजना की वर्तमान स्थित क्या है तथा अब तक सफलतापूर्वक जोड़ी गई नदियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नदी अंतरसम्पर्क पहल के कारण पर्यावरण संबंधी चिंताओं तथा समुदायों के संभावित विस्थापन का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) इस वर्ष नदी अंतरसम्पर्क परियोजना के लिए आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है तथा जल आपूर्ति प्रबंधन पर इसका अनुमानित प्रभाव क्या है;

(घ) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित कर रही है कि नदियों को जोड़ने से संबंधित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े; और

(ड.) नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी इस परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा क्या है तथा जल की कमी को दूर करने में इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता की निगरानी के लिए सरकार किस प्रकार योजना बना रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री **श्री राज भूषण चौधरी**

(क) से (ड): वर्ष 1980 में, भारत सरकार ने जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण के लिए नदियों के परस्पर संयोजन (आईएलआर) के संबंध में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को नदियों के परस्पर संयोजन का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें दो घटक अर्थात हिमालयी घटक (14 आईएलआर परियोजनाएं) और प्रायद्वीपीय घटक (16 आईएलआर परियोजनाएं) परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 11 आईएलआर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), 26 आईएलआर परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और 30 आईएलआर परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने का कार्य पूरा किया जा चुका हैं। लिंक परियोजनाओं और नदियों की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

प्रत्येक नदी लिंक परियोजना के लिए, व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के चरण में एक विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईएस) किया जाता है, ताकि उस परियोजना के भौतिक, जैविक और सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की पहचान की जा सके। मिट्टी के प्रकार, जलवायु के प्रकार, भूजल की गुणवत्ता, जैविक पर्यावरण, वनस्पति विविधता, वन और वन्यजीव, भूजल पुनर्भरण, नदी की जलविज्ञान संबंधी रिजिम में परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलू, रोजगार सृजन की संभावनाएं, परियोजना से प्रभावित परिवार, जलमग्न क्षेत्र आदि और अन्य सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं पर एक विस्तृत अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयारी के चरण में ही किया जा सके, साथ ही आकलित प्रभावों को कम करने के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना भी प्रस्तावित की जा सके।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम ऐसी लिंक परियोजना है, जिसके कार्यान्वयन की शुरुआत, दिसंबर, 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के पश्चात किया गया था। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, इस परियोजना के लिए 4000 करोड़ रूपये की बजटीय आबंटन किया गया है। इस परियोजना की परिकल्पना अन्य बातों के साथ-साथ 10.62 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई के लिए और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में 62 लाख आबादी को घरेलू जल आपूर्ति के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए की गई है।

भारत सरकार, नदियों के परस्पर संयोजन (आईएलआर) कार्यक्रम को परामर्श के आधार पर आगे बढ़ा रही है और इस कार्यक्रम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। पक्षकार राज्यों के बीच अपेक्षित सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर भरसक प्रयास किए गए हैं जिससे परिपक्व आईएलआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके। आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सितंबर, 2014 में एक नदी संयोजना संबंधी विशिष्ट समिति (स्पेशल कमेटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर) का गठन किया गया था। अब तक, नदी संयोजन संबंधी विशेष समिति (स्पेशल कमेटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर) की 21 बैठकें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2015 में 'टॉस्क फोर्स फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर' का भी गठन किया गया है। इस टॉस्क फोर्स की अब तक, 20 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में, राज्यों का व्यापक प्रतिनिधित्व और भागीदारी रहती है, जहां पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाने के समन्वित प्रयास किए जाते हैं और नदियों के परस्पर संयोजन की परियोजनाओं के कार्यान्वयन का रोड मैप तैयार किए जाते है। फिर भी, यह पक्षकार राज्यों पर निर्भर करता है कि जल साझा करने आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों और किसी आईएलआर परियोजना को कार्यान्वयन चरण में आगे ले जाने और किसी आईएलआर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय और समय सीमा जो केवल कार्यान्वयन चरण में ही होगी को लेकर एक आम सहमति बनाए। आज की तारीख तक केवल एक आईएलआर परियोजना, अर्थात् केबीएलपी कार्यान्वित की जा रही है और इसे मार्च, 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा।

*****

अनुलगनक

"राष्ट्रीय नदी अंतरसम्पर्क परियोजना" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1564 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत आईएलआर परियोजनाओं का ब्यौरा और मौजूदा स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति	प्रमुख नदियां
1	महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्रप्रदेश और ओड़िशा	एफआर पूर्ण	पेन्नार, पलार, कावेरी
	वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्रप्रदेश और ओड़िशा	एफआर पूर्ण	महानदी, गोदावरी
2	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक@	आंध्रप्रदेश	एफआर पूर्ण	गोदावरी और कृष्णा
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूर्ण	गोदावरी और कृष्णा
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूर्ण	गोदावरी और कृष्णा
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण	गोदावरी और कृष्णा
5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण	कृष्णा, पेन्नार
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक **	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण	कृष्णा, पेन्नार
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	मसौदा डीपीआर पूर्ण	कृष्णा, पेन्नार
7	कृष्णा (अलमाटी) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूर्ण	कृष्णा, पेन्नार
8	क) पेन्नार (सोमसिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	एफआर पूर्ण	पेन्नार, पलार, कावेरी

		और पुद्दुचेरी		
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमसिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक **	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी	डीपीआर पूर्ण	पेन्नार, पलार, कावेरी
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडूर लिंक	तमिलनाडु	डीपीआर पूर्ण	कावेरी वैगाई और गुंडूर
10	क) पार्बती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश और राजस्थान	एफआर पूर्ण	पार्बती, कालीसिंध, चंबल
	ख) संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	मध्य प्रदेश और राजस्थान	मसौदा डीपीआर पूर्ण	पार्बती, कालीसिंध, चंबल, कुल, बनास, मेज, कुनू, चमला, शिप्रा, लाखअंडर, नेवाज
11	दमनगंगा - पिंजाल लिंक	महाराष्ट्र (केवल मुम्बई के लिए जलापूर्ति)	डीपीआर पूर्ण	दमनगंगा, पिंजाल
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण	पर, तापी, नर्मदा
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूर्ण और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है	केन, बेतवा

14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु और केरल	डीपीआर पूर्ण	पंबा अचनकोविल और वैप्पर
15	बेदती - वरदा लिंक@@	कर्नाटक	डीपीआर पूर्ण	बेदती और वरदा
16	नेत्रवती - हेमवती लिंक**	कर्नाटक	पीएफआर पूर्ण	नेत्रवती और हेमवती

** मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर का कार्य पूरा कर लिया गया था। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार कर ली है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

** आगे के अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा यट्टीनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से नेत्रावती बेसिन में पानी के डायवर्जन के लिए कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक- इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

@ बेदती-वरदा लिंक-डीपीआर इसकी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं किया गया था।

<u>हिमालयी घटक</u>

क्र.सं.	लिंक का नाम	लाभान्वित राज्य/देश	स्थिति	प्रमुख नदियां
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण	कोसी, मेची
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूर्ण	कोसी, घाघरा
3.	गंडक - गंगा लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूर्ण	गंडक, गंगा
4.	घाघरा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	मसौदा एफआर पूर्ण	घाघरा, यमुना
5.	सारदा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	एफआर पूर्ण	सारदा, यमुना

6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूर्ण	यमुना
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूर्ण	लुनी, सुकरी, सगी, बंदी और सुकल बनास
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	मसौदा एफआर पूर्ण	चुनार मे गंगा नदी और सोन नदी
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	मसौदा एफआर पूर्ण	सोन नदी
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	एफआर पूर्ण	मानस, संकोश, तिस्ता, महानंदा, गंगा
11.	जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूर्ण	प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	एफआर पूर्ण	गंगा, हुगली, विद्याधारी
13.	गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूर्ण	गंगा, दामोदर, सुवर्णरेखा
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूर्ण	सुवर्णरेखा और महानदी

******

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1528

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल में रासायनिक संदूषण

1528. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न जिलों में रासायनिक संदूषण के लिए विश्लेषित भूजल नमूनों का ब्यौरा क्या है और नाइट्रेट, फ्लोराइड और यूरेनियम संदूषण के स्तरों के आंकडें क्या हैं;

(ख) क्या मध्य और दक्षिणी राज्यों में भूजल रासायनिक संदूषण के अत्यधिक या असुरक्षित स्तर की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) जन स्वास्थ्य और संबंधित पर्यावरणीय विषाक्तता पर ऐसे संदूषण के संभावित जोखिमों के संबंध में किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने भू-जल में उपरोक्त रसायनों के असुरक्षित स्तरों से निपटने के लिए कोई सुरक्षोपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा तैयार की गई वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 देश भर में फैले 15,259 मानीटरिंग स्थानों से भूजल के नमूने और विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य पीने और कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले भूजल में विद्युत चालकता (ईसी), फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी धातुओं, नाइट्रेट, यूरेनियम आदि जैसे विभिन्न जल गुणवत्ता मानकों का अध्ययन करना है। रिपोर्ट में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-थलग पड़े पाकेटों में मानव उपभोग के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक उपर्युक्त संदूषकों की उपस्थिति पाई गई है। नाइट्रेट, फ्लोराइड और यूरेनियम के स्तरों पर सारांश **अनुलग्नक-I** में प्रस्तुत किया गया है।

(ख): जैसा कि देश के शेष भागों में है, मध्य और दक्षिणी राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में भी अनुमेय सीमा से अधिक भूजल संदूषकों की सूचना मिली है। संदूषकों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए जिलावार संदूषकों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ग): पीने के उद्देश्य के लिए आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातुओं आदि का अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में लंबे समय तक उपयोग करने से स्वास्थ्य पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आर्सेनिक के उद्भासन से त्वचा पर घाव, कैंसर, बच्चों में हृदवाहिका रोग और विकासात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इसी तरह, भूजल में अत्यधिक फ्लोराइड के परिणामस्वरूप दंत और कंकाल फ्लोरोसिस हो सकता है। इसी तरह, अन्य संदूषक विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पैदा करने के लिए जाने जाते हैं।

(घ): जल राज्य का विषय होने के कारण गुणवत्ता पहलू सहित भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यत राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:-

- सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकडे रिपोर्टों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया जाता है। भूजल गुणवत्ता पर ज्ञान के प्रसार में और तेजी लाने के लिए, सीजीडब्ल्यूबी ने अर्ध-वार्षिक भूजल गुणवत्ता बुलेटिन और पाक्षिक अलर्ट जारी करता है ताकि सूचित क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके।
- सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत्त मानचित्रण कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) के अंतर्गत भूजल में विषैले पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी संदूषण मुक्त जलभृत्तों के दोहन के लिए नवीन सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं के निर्माण में राज्य विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।
- भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के जल की आपूर्ति प्रदान की जा सके। जेजेएम के तहत, घरों में नल से जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित स्थानों में रहने वाली आबादी को 10% महत्व दिया जाता है।
- सीपीसीबी ने लघु उद्योगों के क्लस्टर के लिए साझा बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) की स्थापना; बहिस्त्राव की गुणवत्ता आदि के संबंध में वास्तविक समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा ऑनलाइन सतत बहिस्त्राव

निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना के माध्यम से मुख्य बिंदु स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है, जिसके मुख्य घटक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित अपशिष्टों के निर्वहन के लिए उद्योग विशिष्ट मानकों और सामान्य मानकों का विकास कर रहे हैं।

- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल प्रदूषण को रोकने और संदूषित जल के सुरक्षित उपयोग सहित भूजल के विभिन्न पहलुओं पर आवधिक रूप से जागरूकता सृजन कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

*****

अनुलग्नक–I

"भूजल में रासायनिक संदूषण" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1528 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

नाइट्रेट, फ्लोराइड और यूरेनियम के स्तर पर सारांश

पैरामीटर	एकत्र किए गए नमूनों की संख्या	आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की संख्या	अनुमत सीमा से अधिक नमूनों का %
नाइट्रेट	15259	443	19.8%
फ़्लोराइड	15259	263	9.04%
यूरेनियम	11445	132	6.6%

*****

अनुलग्नक-II

"भूजल में रासायनिक संदूषण" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1528 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत के मध्य और दक्षिणी राज्यों के लिए अनुमेय सीमा से अधिक संदूषकों का विवरण

राज्य	**विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या**	**अनुमत सीमा से अधिक ईसी वाले नमूनों का % (>3000 म्यूएस/सेमी)**	**अनुमत सीमा से अधिक फ्लोराइड वाले नमूनों का % (>1.5 मि.ग्रा./ली)**	**अनुमत सीमा से अधिक नाइट्रेट वाले नमूनों का % (>45मि.ग्रा./ली)**
आंध्र प्रदेश	1149	9.7	11.31	23.5
छत्तीसगढ़	783	0.3	1.79	11.49
कर्नाटक	345	14.5	17.68	48.99
केरल	342	0	0.29	6.73
मध्य प्रदेश	589	1.2	1.02	22.58
महाराष्ट्र	1567	3.6	1.91	35.74
तमिलनाडु	916	9.2	9.72	37.77
तेलंगाना	1150	3	14.87	27.48

*****

अनुलग्नक-III

"भूजल में रासायनिक संदूषण" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1528 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश के लिए अनुमेय सीमा से अधिक संदूषकों का जिलावार ब्यौरा

क्र सं	जिले	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	अनुमत सीमा से अधिक ईसी वाले नमूनों का % (> 3000 म्यूएस/सेमी)	अनुमत सीमा से अधिक फ्लोराइड वाले नमूनों का % (>1.5 मि.ग्रा./ली)	अनुमत सीमा से अधिक नाइट्रेट वाले नमूनों का % (> 45 मि.ग्रा./ली)
1	अल्लूरी सीता राम राजू	40	0.0	5.0	17.5
2	अनकापल्ली	27	3.7	11.1	44.4
3	अनंतपुर	62	4.8	19.4	19.4
4	अन्नमय्या	73	5.5	5.5	12.3
5	बापतला	33	24.2	3.0	6.1
6	चित्तूर	61	1.6	1.6	11.5
7	पूर्वी गोदावरी	25	4.0	12.0	16.0
8	एलुरु	37	29.7	0.0	13.5
9	गुंटूर	32	18.8	0.0	21.9
10	काकीनाडा	23	8.7	0.0	21.7
11	कोनासीमा	31	3.2	0.0	6.5
12	कृष्ण	56	30.4	0.0	5.4
13	कुरनूल	28	28.6	10.7	50.0
14	नांदयाल	25	0.0	4.0	12.0
15	एनटीआर	27	7.4	14.8	40.7
16	पलनाडु	70	22.9	27.1	51.4
17	पार्वतीपुरम मन्यम	24	4.2	0.0	20.8
18	प्रकाशम	102	11.8	24.5	42.2
19	एसपीएस नेल्लोर	51	5.9	21.6	29.4
20	श्री सत्य साईं	85	4.7	31.8	34.1
21	श्रीकाकुलम	49	4.1	2.0	22.4
22	तिरुपति	30	6.7	6.7	6.7
23	विशाखापत्तनम	20	0.0	0.0	10.0
24	विजयनगरम	45	2.2	0.0	22.2
25	पश्चिमी गोदावरी	26	7.7	0.0	15.4
26	वाईएसआर कडप्पा	67	6.0	16.4	14.9
आंध्र प्रदेश		**1149**	**9.7**	**11.3**	**23.5**

*****

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1514
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में भूजल भंडार

1514. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में जिले-वार भूजल भंडार की स्थिति क्या है;

(ख) भूजल भंडार की कमी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) तमिलनाडु में भूजल संदूषण की जिलावार स्थिति क्या है; और

(घ) तिरुनेलवेली में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री **श्री राज भूषण चौधरी**

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और संबंधित राज्य नोडल विभागों द्वारा संयुक्त रूप से तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश के गतिशील भूमि जल संसाधनों का वार्षिक रूप से आकलन किया जा रहा है। वर्ष 2024 के नवीनतम आकलन के अनुसार, तमिलनाडु में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 21.51 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 19.46 बीसीएम है। इसके अतिरिक्त, सभी प्रयोजनों (सिंचाई, औद्योगिक, घरेलू आदि) के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 14.45 बीसीएम है। तदनुसार, भूजल निष्कर्षण का चरण (एसओई) का निर्धारण 74.26% के रूप में किया गया है। जो कि, वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूमि जल की तुलना में सभी प्रयोजनों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण का एक मानक है। जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक -I** में दिया गया है।

(ख): जल राज्य का विषय है। भूजल से संबंधित मुद्दों के समाधान का दायित्व मुख्यत संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन

प्रदान किया जाता है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा तमिलनाडु सहित देश में भूजल में गिरावट को कम करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड पर समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु के 10 जिलों सहित 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग एवं प्रबंधन कार्यक्रम (नेक्यूम) की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य जलभृत की अवस्थिति और इसके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करना है। तमिलनाडु के 1.05 लाख वर्ग किमी सहित देश के समस्त लगभग 25 लाख वर्ग किमी मैपिंग योग्य क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य/जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है।

iii. भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 को सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तमिलनाडु सहित पूरे देश के लिए तैयार किया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। इस मास्टर प्लान में 185 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) जल का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है।

iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से तमिलनाडु सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।

v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर योजना का आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से 2,488 अमृत सरोवर तमिलनाडु में हैं।

vi. भारत सरकार द्वारा मनरेगा और पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी जैसी योजनाओं के माध्यम से तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है।

vii. देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार की कई अन्य महत्वपूर्ण पहलों का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है-

https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/

viii उपर्युक्त के अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर पंचायत निदेशालय, तमिलनाडु में लगभग 90 नगर पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी सरकारी, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों पर छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और अब तक 19 लाख से अधिक भवनों में ऐसी संरचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (टीएनआईएमपी), सतत शुष्क भूमि कृषि मिशन (एमएसडीए), मुख्यमंत्री शुष्क भूमि विकास मिशन (सीएमडीडीएम) आदि जैसी विभिन्न राज्य सरकार की परियोजनाओं के तहत राज्य भर में बड़े पैमाने पर खेत तालाबों और चेक बांधों का निर्माण किया गया है।

(ग): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भूमि जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के एक भाग के रूप में पूरे देश के लिए भूजल गुणवत्ता आंकडे तैयार करता है। नवीनतम वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, तमिलनाडु राज्य के छिट-पुट पॉकेटों से 37.8% नमूनों में अनुमत्य सीमा से अधिक नाइट्रेट की स्थानीय रूप से विद्यमान होने की सूचना दर्ज की गई हैं। इसी प्रकार 9.2% नमूनों में इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी (ईसी) निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है और कुछ अलग-थलग पॉकेटों से 9.7% नमूनों में फ्लोराइड पाया गया है। इन प्रमुख संदूषकों का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ): तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले सहित देश के अधिकांश भागों को भूजल संसाधनों में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपर्युक्त उपायों के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इससे संबंधित विशिष्ट उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण के लिए तैयार की गई मास्टर योजना में कुल 5,207 शहरी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जल शक्ति अभियान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में क्षेत्र विशिष्ट की अतिरिक्त आवश्यकताओं के साथ-साथ मास्टर प्लान की सिफारिशों पर भी समुचित ध्यान दिया गया है। जेएसए के तहत पिछले 3 वर्षों में तिरुनेलवेली जिले में कुल 16,309 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण पूरा हो गया है/निर्माणाधीन है।
- नेक्यूम कार्यक्रम के अंतर्गत सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तिरुनेलवेली सहित सभी पांच जिलों को शामिल करते हुए संपूर्ण वैप्पार नदी बेसिन का जलभृत्त मैपिंग किया गया है और उपयुक्त

भूजल प्रबंधन योजना तैयार की गई है जिसमें मांग और आपूर्ति पक्षों के उपायों के लिए सिफारिशें शामिल हैं। इसे राज्य और जिला प्राधिकारियों के साथ साझा किया गया है।

- वर्ष 2024 में देश के किए गए डाइनैमिक भूजल संसाधन के आकलन में तिरुनेलवेली जिले के भूजल निष्कर्षण के चरण का आकलन 43% के रूप में किया गया है, जो यह दर्शाता है कि यह जिला 'सुरक्षित' श्रेणी में है।
- उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत तिरुनेलवेली जिले में 70 जल निकायों/झीलों/तालाबों का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है।
- तिरूनेलवेली जिले में भू-जल स्तर में उतार-चढ़ाव की निगरानी करने के लिए कुल 31 डिजिटल जल स्तर रिकार्डर (डीडब्ल्यूएलआर) संस्थापित किए गए हैं और भू-जल गुणवत्ता की वास्तविक समय निगरानी के लिए 2 डिजिटल जल स्तर रिकार्डर (डीडब्ल्यूएलआर) संस्थापित किए गए हैं।

*****

अनुलग्नक -I

"तमिलनाडु में भूजल भंडार" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1514 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तमिलनाडु के जिलेवार डाइनैमिक भूजल संसाधन, 2024

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण (एच ए एम)	वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (एचए एम में)	वार्षिक भूजल निष्कर्षण (एचए एम में)	भूजल निष्कर्षण का चरण (%)
1	अरियालूर	37721.25	34339.78	17926.61	52.20
2	चेंगलपट्टू	62787.98	56583.85	38638.20	68.28
3	चेन्नई	10217.89	9296.52	11609.99	124.89
4	कोयंबटूर	60383.89	54421.92	47180.46	86.69
5	कुड्डालोर	111824.88	100940.65	65583.44	64.97
6	धर्मपुरी	47810.97	43029.84	41074.89	95.46
7	डिंडीगुल	62166.17	56087.70	62174.95	110.85
8	इरोड	73605.86	66369.68	54124.99	81.55
9	कल्लाकुरिच्चि	67131.54	61034.42	50907.82	83.41
10	कांचीपुरम	57920.51	52255.09	25835.83	49.44
11	कन्नियाकुमारी	32933.53	29640.18	4940.63	16.67
12	करूर	34015.99	30795.17	29831.63	96.87
13	कृष्णागिरी	48402.82	43886.28	42081.02	95.89
14	मदुरै	78705.70	73366.74	49119.70	66.95
15	माइलादुथुराई	39485.34	35536.80	43906.57	123.55
16	नागपट्टिनम	0.00	0.00	0.00	Saline
17	नमक्कल	59780.72	54217.01	60918.67	112.36
18	पेरम्बलूर	25321.14	22900.04	25062.87	109.44
19	पुदुक्कोट्टई	96945.89	87294.89	44365.37	50.82
20	रामनाथपुरम	48633.81	43770.38	4522.44	10.33
21	रानीपेट	28341.01	25829.98	22927.83	88.76
22	सलेम	52995.79	47696.16	69990.28	146.74
23	शिवगंगा	66038.65	59693.81	17582.53	29.45
24	तेनकासी	58059.41	52384.29	40164.38	76.67

25	तंजावुर	104762.25	94354.19	95117.13	100.81
26	नीलगिरी	14741.30	13267.16	902.35	6.80
27	थेनी	31406.73	28266.03	21636.12	76.54
28	थिरुवरुर	23692.54	21323.29	14338.38	67.24
29	थूटुकुडी	68729.18	62013.40	21614.22	34.85
30	तिरुचिरापल्ली	80486.24	72493.05	52991.30	73.10
31	**तिरुनेलवेली**	**83678.90**	**75788.59**	**32748.55**	**43.21**
32	तिरुपथुर	10037.15	9033.43	12575.96	139.22
33	तिरुपूर	62009.74	55944.24	46783.04	83.62
34	तिरुवल्लुर	86267.47	78655.65	42933.82	54.58
35	तिरुवन्नामलाई	121599.71	110146.16	91275.12	82.87
36	वेल्लोर	16999.72	15335.17	18629.72	121.48
37	विल्लुपुरम	103094.63	93425.09	81585.10	87.33
38	विरुधुनगर	82588.45	74736.43	41700.76	55.80
	कुल (एचएएम)	2151324.75	1946153.06	1445302.67	74.26
	कुल (बी सी एम)	**21.51**	**19.46**	**14.45**	**74.26**

*****

अनुलग्नक II

“तमिलनाडु में भूजल भंडार” के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1514 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2023 में तमिलनाडु का जिलेवार भूजल गुणवत्ता डेटा

*क्रम संख्या	जिला	विश्लेषण किए गए कुल नमूनों की संख्या	अनुमेय सीमा से अधिक नमूनों का प्रतिशत (%)		
			ई सी (%) (>3000 माइक्रो सीमेंस\सेमी)	फ्लोराइड (%) (>1.5 मिली ग्राम/ली)	नाइट्रेट (%) (>45 मिली ग्राम/ली)
1	अरियालूर	15	0.0	6.7	53.3
2	चेन्नई	12	8.3	8.3	25.0
3	कोयंबटूर	46	6.5	8.7	43.5
4	कुड्डालोर	51	0.0	9.8	33.3
5	धर्मपुरी	28	35.7	7.1	50.0
6	डिंडीगुल	41	9.8	14.6	46.3
7	इरोड	83	1.2	8.4	36.1
8	कांचीपुरम	58	3.4	0.0	24.1
9	कन्याकुमारी	17	0.0	0.0	29.4
10	करूर	14	0.0	7.1	42.9
11	कृष्णागिरी	33	6.1	33.3	21.2
12	मदुरै	35	0.0	5.7	37.1
13	नागपट्टिनम	16	6.3	0.0	56.3
14	नमक्कल	44	2.3	9.1	50.0
15	नीलगिरी	7	28.6	28.6	85.7
16	पेरम्बलूर	18	27.8	16.7	83.3
17	पुदुक्कोट्टई	30	13.3	6.7	26.7
18	रामनाथपुरम	11	18.2	0.0	18.2
19	सलेम	39	17.9	5.1	41.0
20	शिवगंगा	3	0.0	0.0	33.3
21	तंजावुर	14	0.0	0.0	7.1
22	थेनी	33	6.1	21.2	42.4
23	थिरुवन्नमलाई	36	0.0	0.0	30.6
24	तिरुनेलवेली	28	21.4	25.0	46.4
25	तिरुवल्लुर	49	4.1	0.0	12.2

26	तिरुवरुर	6	16.7	0.0	33.3
27	त्रिची	41	9.8	0.0	34.1
28	टूटीकोरिन	27	18.5	11.1	29.6
29	वेल्लोर	5	20.0	60.0	80.0
30	विल्लुपुरम	48	16.7	8.3	56.3
31	विरुधुनगर	28	35.7	42.9	39.3
		916	9.2	9.7	37.8

*तमिलनाडु राज्य के पूर्ववर्ती जिलों के गुणवत्ता आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें 8 नए पुनर्गठित जिलों के निष्कर्ष शामिल हैं

****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1471

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

इंद्रावती बांध में पानी की उपलब्धता

1471. श्रीमती मालविका देवी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इंद्रावती बांध में पर्याप्त पानी की उपलबता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मरम्मत की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार के पास इंद्रावती बांध के लिए कोई भावी परियोजना या निवेश है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ओडिशा में धान के उत्पादन के लिए गर्मियों में पानी के उपयोग हेतु कई स्थानों पर नदियों पर बैराज होना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा नदियों को साफ करने और उनका अच्छा अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सूचित किए अनुसार इंद्रावती बांध अच्छी स्थिति में है और इस समय इसमें कोई बड़ी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। जल की उपलब्धता, इसके जलग्रहण क्षेत्र में हुए वर्षापात पर निर्भर करती है। दिनांक 06.02.2025 तक, इंद्रावती जलाशय में उपलब्ध जल भंडारण, उनकी सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 44% है।

इस समय इंद्रावती बांध के लिए किसी भावी परियोजनाओं या निवेशों का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में विभिन्न नदियों पर 27 बैराजों की योजना बनाई गई है ताकि गर्मियों में धान उत्पादन और अन्य आवश्यक उद्देश्यों के लिए पर्याप्त जल का भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, ओडिशा सरकार ने राज्य में अलग-अलग नदियों पर विभिन्न इन-स्ट्रीम स्टोरेज परियोजनाओं की भी योजना बनाई है ताकि पीने और भूजल पुनर्भरण के उद्देश्यों के लिए गर्मियों में पर्याप्त जल का भंडारण सुनिश्चित किया जा सके।

(घ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उनके प्रदूषण श्रेणी के आकलन के अनुसार ओडिशा में नदियों के प्रदूषण वाले खंडों की पहचान और उनकी प्राथमिकता तय की गई है। वर्ष 2019 और 2021 के दौरान ओडिशा में 133 स्थानों पर 50 नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी की गई थी। सीपीसीबी के प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 19 पीआरएस थे, जो अब वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 7 रह गए हैं। इसके अलावा, जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा दिनांक 31.07.2024 की अधिसूचना के माध्यम से महानदी संरक्षण पर एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

*****